



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2020

आश्विन 28, 1942 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

Dated : 19th October, 2020
27 Asvina, 1942 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/U.P./2016:- IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13B of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes following amendments in its Notification no. 429/U.P./2016, dated 30th August, 2016, as amended from time to time relating to the appointments of Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, namely :-

In Column-2 of the table appended to the said notification the existing entry "Assistant Record Officer, Obra", against item No. 402-Obra (S.T.) of Column-1 shall be substituted with the entry "Sub Divisional Officer, Obra".

No. 429/U.P./2016(1):- IN exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby makes further amendments in its Notification no. 429/U.P./2016(1), dated 30th August, 2016, as amended from time to time relating to the appointments of Assistant Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Uttar Pradesh, namely :-

In Column (2) of the table appended to the said notification, the existing entries mentioned against the name of Assembly Constituency given below shall be substituted with the entries in Column-2 of the Table below:-

TABLE

Sl. No. and Name of Assembly Constituency	Assistant Electoral Registration Officers
1	2
402-Obra(ST)	1. Tehsildar, Obra 2. Tehsildar, Duddhi 3. Tehsildar, Robertsghanj

By order,
ANUJ JAIPURIAR,
Sr. Principal Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary, Election.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

दिनांक: 19 अक्टूबर, 2020
27 आश्विन, 1942 (शक)

अधिसूचना

सं० 429/उ०प्र०/2016 – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 429/उ०प्र०/2016, दिनांक 30 अगस्त, 2016 में निम्नवत् संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ-2 में, स्तम्भ सं० 1 की मद संख्या 402-ओबरा (अ०ज०जा०) के सामने विद्यमान प्रविष्टि "सहायक अभिलेख अधिकारी, ओबरा" प्रविष्टि "उप जिलाधिकारी, ओबरा" के द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

सं० 429/उ०प्र०/2016(1) – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13(ग) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 429/उ०प्र०/2016(1), दिनांक 30 अगस्त, 2016 में और संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ-2 की प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
402-ओबरा (अ0ज0जा0)	1-तहसीलदार, ओबरा 2-तहसीलदार, दुद्धी 3-तहसीलदार, राबर्ट्सगंज

आदेश से,
अनुज जयपुरियार,
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव, निर्वाचन।